



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
DIRECTORATE GENERAL FACTORY ADVICE
SERVICE AND LABOUR INSTITUTES
REGIONAL LABOUR INSTITUTE,
FARIDABAD
(An ISO 9001:2015 certified Institution)
(INDUSTRIAL HYGIENE DIVISION)

Training Program on
“Monitoring and Control of
Physical Hazards in Industries”
(23rd - 25th June, 2025)

DGFASLI & RLI FARIDABAD

The Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes (DGFASLI) is an attached office of the Ministry of Labour and Employment, Government of India and serve as a technical arm to assist the Ministry in formulating National Policies on Occupational Safety and Health and to advise the State Governments and Factories on matters concerning Safety, Health, Efficiency and wellbeing of persons at work. It also enforces safety and health statutes in major Ports of the country.

The Regional Labour Institute, Faridabad, one of the Sub- ordinate Offices of DGFASLI, has been rendering technical assistance and services in the field of Occupational Health, Safety and Environment in the Northern Region.

ABOUT THE PROGRAM

Industrial indoor ambient environment has wide range of physical agents, such as noise, vibration, temperature extremes, radiation, etc. Existence and exposure to these agents to workers creating occupational emergencies and illnesses. In the engineering industrial establishments, construction sector, and dock work, workers face heightened vulnerability to heat stress and noisy working

conditions due to the nature of their tasks and the challenging work environments. These hazards, combined with exposure to other physical and environmental risks, can significantly affect worker health and productivity. Heat stress and noise are two prevalent physical hazards in many industries, particularly in construction, manufacturing, and other labor-intensive sectors. Prolonged exposure to these hazards can have severe consequences for workers' health and safety, including heat-related illnesses, hearing loss, and increased risks of accidents. Raising awareness about these risks is essential in reducing their impact through understanding of exposure assessment, mitigation measures and regulatory provisions to foster a culture of safety within the workplace.

OBJECTIVE

The objective of this program is to educate and raise awareness among participants about the risks associated with physical agents like noise and heat extremes in high-risk work environments (e.g., construction sites, factories, docks) and provide practical tools for assessment, mitigation, and compliance with relevant regulations.

PROGRAM HIGHLIGHT

- National Policy on OSHE at workplace.
- Overview on Industrial Hygiene & Physical hazards.
- Statutory Provisions-The Factories Act-1948.
- Assessment of heat stress at workplace
- Assessment of Noise at workplace
- Controlling & managing Heat stress & Noise: Engineering overview
- Occupational Health Management for heatstress and noise.

PARTICIPATION

This programme is designed for professionals employed in the field of OSH, production, planning,

training of Factories/Port/Construction Sites, especially Executives, Managers, Safety Officers, Technical Officers and Allied Professionals, Supervisor. However, anyone interested in the above training programme may also join.

DATE, TIMINGS, MODE

23rd - 25th June, 2025 (Three days)

1000 to 1700 hrs. OFFLINE MODE

VENUE

Conference Room, Regional Labour Institute, Sector 47, Faridabad – 12101, Haryana

NOMINATION

Nomination may be sent by email to the Course Coordinator, on or before 20th June 2025.

ADMINISTRATIVE DETAILS

Institution fee @ Rs 5000/- (Excluding Boarding and Lodging) per participant through Bharatkosh portal (<https://bharatkosh.gov.in>) may be deposited online by using the following steps only **after nomination confirmed from the Course Coordinator.**

Follow the steps below to pay fees after confirmation only.

- Visit to <https://bharatkosh.gov.in>
- Select: **Quick Payment**
- Ministry: **021 Labour & Employment**
- Purpose: **Training and services fees**
- Pay & Account Office (PAO): **030050 -PAO, CLC, New Delhi**
- DDO: **202195 - Regional Labour Institute, Faridabad**
- Remarks: **Physical Hazards in Industries- RLIF**

ACCOMMODATION

At present there is no accommodation facility available as hostel is under major up-gradation.

TRAINING COORDINATOR

Dr. Nitin S. Gedam, Assistant Director (IH)
 Regional Labour Institute
 Sector-47, Faridabad-121 010
 Mo. No. 8178726356 (O) 129-2985536
 Email: nitin.gedam@dgfasli.nic.in &
rlifaridabad@dgfasli.nic.in

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM

Training Program on “Monitoring and Control of Physical Hazards in Industries” (23rd - 25th June, 2025)

AT

REGIONAL LABOUR INSTITUTE, SECTOR – 47, FARIDABAD – 121010

PARTICIPANT’S DETAILS

Name (Block Letters) :

Designation :

Address for Communication :

Age :

Qualification :

Total Experience :

Mobile No. :

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION

Name & Address :

Telephone No. / Mobile No. :

E-mail :

Fax No. :

Accommodation : Required / Not Required

PAYMENT DETAILS (Bharatkosh Receipt No. and date):

BELONGS TO :- :

(GEN / SC/ ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

Place:

Date:

SIGNATURE OF PARTICIPANT



भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

महानिदेशालय फैक्ट्री सलाह सेवा और श्रम संस्थान

क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद

(एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संस्था)

(इंडस्ट्रियल हाइजीन डिविजन)

"औद्योगिक क्षेत्रों में भौतिक खतरों की निगरानी और नियंत्रण" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (23 से 25 जून, 2025)

डीजीएफएसएलआई और आरएलआई फरीदाबाद

डीजीएफएसएलआई, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय है और यह मंत्रालय को व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने में मदद करने के लिए एक तकनीकी शाखा के रूप में काम करता है और सुरक्षा, स्वास्थ्य, दक्षता तथा कार्यस्थल पर लोगों की भलाई से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों और कारखानों को सलाह देता है। यह देश के प्रमुख बंदरगाहों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के नियमों को भी लागू करता है। क्षेत्रीय श्रम संस्थान, फरीदाबाद, डीजीएफएसएलआई के अधीनस्थ कार्यालयों में से एक है, जो उत्तरी क्षेत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान कर रहा है।

कार्यक्रम के बारे में

औद्योगिक इनडोर परिवेश में शारीरिक कारकों की विस्तृत शृंखला होती है, जैसे कि शोर, कंपन, तापमान की चरम सीमाएँ, विकिरण आदि। इन कारकों का अस्तित्व और श्रमिकों के लिए संपर्क औद्योगिक आपात स्थितियाँ और बीमारियाँ पैदा करता है। इंजीनियरिंग औद्योगिक प्रतिष्ठानों, निर्माण क्षेत्र और डॉक कार्य में, श्रमिकों को उनके कार्यों के स्वभाव और कठिन कार्य वातावरण के कारण गर्मी के तनाव और शोर वाले कामकाजी परिस्थितियों के

प्रति बड़ी हुई संवेदनशीलता का सामना करना पड़ता है। इन खतरों, अन्य शारीरिक और पर्यावरणीय जोखिमों के संपर्क में आने के साथ मिलकर, कामकाजी स्वास्थ्य और उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। गर्मी का तनाव और शोर कई उद्योगों में, विशेष रूप से निर्माण, विनिर्माण और अन्य श्रमिक-गहन क्षेत्रों में दो प्रचलित शारीरिक खतरे हैं। इन खतरों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कामकाजी स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें गर्मी से संबंधित बीमारियाँ, सुनने की क्षमता का नुकसान, और दुर्घटनाओं का बढ़ता जोखिम शामिल है। इन जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है जिससे इनके प्रभावों को कम किया जा सके, जिसमें संपर्क मूल्यांकन, शमन उपायों और सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नियामक प्रावधानों की समझ शामिल है।

उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को उच्च जोखिम वाले कार्य वातावरण (जैसे, निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों, डॉक) में भौतिक खतरों जैसे शोर और गर्मी के चरम सीमाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना है और आकलन, शमन और प्रासंगिक नियमों के अनुपालन के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करना है।

कार्यक्रम प्रमुखता

- □ कामकाजी स्थान पर OSHE पर राष्ट्रीय नीति।□
- इंडस्ट्रियल हाइजीन और भौतिक खतरों का अवलोकन।□
- कानूनी प्रावधान- कारखाना अधिनियम-1948।□
- कामकाजी स्थान पर गर्मी के तनाव का आकलन।□
- कामकाजी स्थान पर शोर का आकलन।□
- गर्मी के तनाव और शोर का नियंत्रण और प्रबंधन: इंजीनियरिंग अवलोकन।□
- गर्मी के तनाव और शोर के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन।

भागीदारी

यह कार्यक्रम उन पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है जो ओएसएच, उत्पादन, योजना, फैक्ट्रियों/पोर्ट/निर्माण स्थलों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं, विशेष रूप से कार्यकारी, प्रबंधक, सुरक्षा अधिकारी, तकनीकी अधिकारी और सहयोगी पेशेवर, पर्यवेक्षक। हालांकि, जो भी उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि रखता है, वह भी शामिल हो सकता है।

तारीख, समय, तरीका

23 से 25 जून, 2025 (तीन दिन)

1000 से 1700 घंटे। ऑफलाइन मोड

स्थान

कॉन्फ्रेंस रूम, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, सेक्टर 47, फरीदाबाद – 12101, हरियाणा

नामांकन

निर्वाचन 20 जून 2025 या उससे पहले कोर्स समन्वयक को ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

प्रशासनिक विवरण

प्रतिभागी के लिए संस्थान शुल्क @ 5000/- रुपये (भोजन और निवास को छोड़कर) केवल बारातकोष पोर्टल (<https://bharatkosh.gov.in>) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके, केवल कोर्स समन्वयक द्वारा नामांकन की पुष्टि होने के बाद।

Follow the steps below to pay fees after confirmation only.

- Visit to <https://bharatkosh.gov.in>
- Select: **Quick Payment**
- Ministry: **021 Labour & Employment**
- Purpose: **Training and services fees**
- Pay & Account Office (PAO): **030050 -PAO, CLC, New Delhi**
- DDO: **202195 - Regional Labour Institute, Faridabad**
- Remarks: **Physical Hazards in Industries- RLIF**

आवास व्यवस्था

वर्तमान में कोई आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि हॉस्टल का बड़े पैमाने पर उन्नयन किया जा रहा है।

प्रशिक्षण समन्वयक

डॉ. नितिन एस. गोडाम, सहायक निदेशक (आईएच)

क्षेत्रीय श्रम संस्थान सेक्टर-47, फरीदाबाद-121 010

मो. नं. 8178726356 (ओ) 129-2985536

Email: nitin.gedam@dgfasli.nic.in & rlifaridabad@dgfasli.nic.in

उम्मीदवारी-सह-पंजीकरण प्रपत्र

“उद्योगों में भौतिक खतरों की निगरानी और नियंत्रण” पर
प्रशिक्षण कार्यक्रम (23 से 25 जून, 2025)

स्थान

क्षेत्रीय श्रमिक संस्थान, सेक्टर - 47, फरीदाबाद - 121010

प्रतिभागी के विवरणनाम

नाम (ब्लॉक अक्षरों में) :

पद :

संचार का पता :

उम्र :

योग्यता :

कुल अनुभव :

मोबाइल नंबर :

प्रायोजन संगठन के विवरणनाम और पता :

टेलीफोन संख्या / मोबाइल संख्या :

ई-मेल :

फैक्स नंबर :

आवास : आवश्यक / आवश्यक

भुगतान विवरण (Bharatkosh Receipt No. and date):

BELONGS TO :- :

(GEN / SC/ ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

Place:

Date:

SIGNATURE OF PARTICIPANT